सेवा में,

दिनांक 06.04.2023

श्रीमान् "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" महोदय,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र–II, बड़ोदरा–390008 (गुजरात)

विषयः– प.क्षे.–II/लोक सूचना/2023/109/1914, दिनांक 24.03.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि विषयांकित आरटीआई अभ्यावेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 के क्रम में भेजा गया पत्र प.क्षे.–II/लोक सूचना/2023/109/1914, दिनांक 24.03.2023 जो पंजीकृत डाक से भेजा गया है। जो मुझे दिनांक .04.2023 को प्राप्त हुआ है।

यह कि श्रीमान् जी के द्वारा भेजे गये पत्र में आरटीआई अधिनियमों के तहत आवश्यक पंजीकरण शुल्क 10/–रू0 (दस रूपये), "पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" के नाम से एवं बड़ोदरा में देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से जमा करने का निर्देश हुआ है। ताकि मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत दी जा सकें। के क्रम में आपके निर्दशानुसार 10/–रू0 के आई.पी.ओ. की मांग की गई है, 10/–रू0 का आई.पी.ओ. न मिलने के कारण 50/–रू0 का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO), जिसकी क्र0 65G-956517, दिनांक 06.04.2023" पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बड़ोदरा के नामे भेजा जा रहा है। जिसे स्वीकार कर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत मांगी गई जानकारी अभ्यावेदन पत्र दिनांक 20.03.2023 के अनुसार उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें।

संलग्नः–

01. प.क्षे.–II/लोक सूचना/2023/109/1914, दिनांक 24.03.2023 की छायाप्रति।
02. भारतीय पोस्टल आर्डर क्र0 65G-956517, दिनांक 06.04.2023 मूल।

पत्राचार का पताः–
काबिस प्रसाद शाह पिता श्री छोटेलाल शाह,
ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व), पोस्ट–शाहपुर,
तहसील एवं जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
पिन कोड नं0–486886

प्रार्थीगण
काबिस प्रसाद शाह पिता श्री
छोटेलाल शाह, ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
तहसील एवं जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

श्री विकास
उचित कार्यवाही हेतु
19/04/2023

SPEED-POST.

सेवा में,

श्रीमान् "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" महोदय,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र–II, बड़ोदरा–390008 (गुजरात)

15 APR 2023
540

EMS SPEED POST
EI415563281IN

काबिस प्रसाद शाह पिता श्री छोटेलाल शाह,
ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व), पोस्ट–शाहपुर,
तहसील एवं जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
पिन कोड नं0–486886

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बड़ोदरा को

पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY

रुपए50.00Rs

कमीशन COMMISSION रुपए 2.50 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

काबिस प्रसाद शाह, ग्राम-गहिलगढ़ (पूर्व), पोस्ट-शाहपुर, तह०व जिला-सिंगरौली (म०प्र०) 486886.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
6/4/23

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

65G 956517

सेवा में, दिनांक 20.03.2023

श्रीमान् "लोक सूचना अधिकारी" महोदय,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि0,
प्लाट नं. 54, समा सावली रोड़–बडोदरा, गुजरात–390024

विषयः– सूचना अधिकार अधि0–05 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण के द्वारा निम्नांकित जानकारी मांगी जा रही है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

01. यह कि सी.सी.टी.सी. सं. A-4771, टावर स्थल सं. 67/0, ग्राम–कोनी, पूर्व तहसील–देवसर, वर्तमान तहसील–सरई को आपके पावर ग्रिड ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा जारी नोटिस दिनांक का उल्लेख नहीं है, नोटिस दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

02. यह कि ग्राम–कोनी, टावर स्थल सं0 67/0, 765 के.वी. लाईन कहां से कहां गई है, उक्त लाईन में ग्राम–कोनी के अतिरिक्त किन–किन ग्रामों से होकर गई है। जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

03. यह कि ग्राम–कोनी, टावर स्थल सं0–67/0, जिसमें 765 के.वी. लाईन का निर्माण पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, लिमिटेड द्वारा किस वर्ष में किया गया है की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

04. यह कि हम प्रार्थीगण के द्वारा मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, शाखा–विन्ध्यनगर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) को पूर्व में आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2023 पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था, उप महाप्रबंधक श्री एल.बी. दुबे पावर ग्रिड–विन्ध्यनगर द्वारा

क्रमशः.........02 पर

श्री विकास
कृपया चर्चा करें।

सन्दर्भ क्र0– डब्ल्यू.आर.–2/विन्ध्याचल/5734, दिनांक 24.02.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी, विन्ध्यनगर कार्या0 में नहीं बैठते हैं। पावर ग्रिड के लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रिय मुख्यालय, बड़ोदरा (गुजरात) में बैठते हैं। उनके द्वारा संदर्भित पते पर पुनः श्रीमान् जी से पावर ग्रिड से सम्बन्धित जानकारी मांगी जा रही है।

04. यह कि आवेदन प्रोसेस फीस के रूप में 5X2 नग योग 10/–रू0 का नान्–ज्यूडिसियल स्टाम्प जिसका क्रमांक MP-16AA-432757, MP-16AA-432758 दिनांक 20.03.2023 मूल संलग्न है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है, कि हम प्रार्थीगण के आवेदन पर विचार कर मांगी गई जानकारी समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध करायी जानी की कृपा करें।

<u>संलग्नः–</u>

01. नोटिस की छायाप्रति।
02. स्टाम्प मूल। (2 नग)
03. सन्दर्भ क्र0–डब्ल्यू.आर.–2/विन्ध्याचल/5734, दिनांक 24.02.2023 की छायाप्रति।

पत्राचार का पताः–
कबिस प्रसाद शाह पिता छोटेलाल शाह
व अन्य, निवासी ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
पोस्ट–शाहपुर, तहसील एवं
जिला–सिंगरौली (म0प्र0) 486886

प्रार्थीगण

कबिस प्रसाद शाह पिता छोटेलाल शाह
व अन्य, निवासी ग्राम–गहिलगढ़ (पूर्व),
तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

वृक्ष(क्षों) की कटाई / कॉट / छॉट / फसल(लों) को हटाने के संबंध में

मुआवजा हेतु प्रमाण पत्र

सी.सी.टी.सी. सं. A- 4771 .... से .... तक 765/400/200 के.वी. ....

टावर स्थल सं. ....

1. मैं/हम/श्री/श्रीमती .... आत्मज/पत्नी .... ग्राम .... तहसील .... जिला .... इसके द्वारा कथन और घोषणा करते हैं कि वृक्ष/फसल फील्ड सर्वे नं. .... ग्राम .... तालुके .... जिला .... में स्थित जो मेरे/हमारे स्वामित्व की है, काटे गये/क्षतिग्रस्त हुए वृक्ष/फसल के संबंध में वास्तविक हानि का मुआवजा जिसका मूल्यांकन एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/राजस्व विभाग/समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, द्वारा किया जाता है और जो पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा देय है, मुझे/हमें स्वीकार्य है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित वृक्ष/फसल पावरग्रिड के इंजीनियर के आदेश से गिराए/क्षतिग्रस्त किये गए थे, और उसका कब्जा मुझे/हमें सौंपा जा चुका है।
3. काटे गये वृक्ष/काटी/क्षतिग्रस्त कि गई फसल का ब्यौरा निम्नानुसार है--

क्र.सं. (1)	वृक्ष/फसल का प्रकार (2)	वृक्ष(क्षों) की ऊंचाई व मोटाई/फसल(लों) का ब्यौरा (3)	टिप्पणी (4)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	4.10 m X 92 m	
[illegible]	[illegible]	2.10 m X 14 m	

4. पुनः यह प्रमाणित कर वचन दिया जाता है कि ऊपर लिखित वृक्ष(क्षों)/फसल(लों) के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति यदि कोई भी दावा करता है तो मैं/हम उसके लिए व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होंगे एवं इस संबंध में यदि पावरग्रिड को कोई हानि होती है तो मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति ...
5. यह भी विशेष रुप से घोषित किया जाता है कि ऊपर पैरा –3 में दर्शाए गए/गई वृक्षों/फसलों की हानि/क्षति के अतिरिक्त ... मुझे/हमें और कोई हानि या क्षति नहीं हुई है।

दिनांक

पावर ग्रिड का अनुमोदन

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के लिए और इसकी ओर से

हस्ताक्षर :............

नाम :............

पदनाम :............

दिनांक :............

स्वामी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : तहसीलदार एवं एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट .... आपसे अनुरोध है कि ऊपर लिखित स्वामी के रिकार्ड से ...